



प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या/कानपुर।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 12 मार्च, 2026

विषय:-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, कानपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से संचालित योजनाओं के तुल्य 25 प्रतिशत विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की अवशेष राज्यांश देयता की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित धनराशि से निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पत्रांक- एन.डी.यू.ए.टी.-8/लेखा/अनुदान/2025/772, दिनांक 29.12.2025 एवं अर्थ नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पत्रांक:सीएसयूपी-3037/2025-26, दिनांक 07.02.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या व कानपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से संचालित योजनाओं के तुल्य 25 प्रतिशत राज्यांश के भुगतान (कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या, कानपुर द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के अवशेष राज्यांश देयता) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि ₹0 700.00 लाख में से विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की अवशेष राज्यांश देयता की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में ₹0 175.00 लाख (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि रुपये लाख में)

कृषि विश्वविद्यालय का नाम	वि०वि० द्वारा विगत वित्तीय वर्ष राज्यांश देयता	वि०वि० द्वारा राज्यांश देयता की मांग	विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत राज्यांश	चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि से निर्गत (प्रथम किस्त)	चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि से निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (द्वितीय किस्त)	निर्गत किये जाने हेतु अवशेष राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या	2022-23	265.97	154.27	88.65	23.05	0.00
	2023-24	272.98	00.00	00.00	64.45	208.53
कानपुर	2022-23	273.05	247.09	25.96	0.00	00.00
	2023-24	261.69	00.00	60.39	87.50	113.80
	योग-	1073.69	401.36	175.00	175.00	322.33

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

- प्रश्नगत स्वीकृति के उपरांत धनराशि तभी आहरित की जायेगी जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत निर्गत किये जा रहे राज्यांश के सापेक्ष केन्द्रांश प्राप्त हो गया है एवं योजना की गाईडलाइन्स का पालन किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. स्वीकृत धनराशि/प्रस्ताव में ऑकड़ों की पुष्टि का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
 3. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विश्वविद्यालय का होगा।
 4. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 5. स्वीकृति धनराशि यदि ऐसे खाते रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो, तो उस ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी।
 6. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 7. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 8. स्वीकृत धनराशि के देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा एवं इस देयक को मण्डलायुक्त द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करने के उपरान्त संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
 9. विश्वविद्यालयों द्वारा की गयी मांग के अनुसार प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष निर्गत की जा रही राज्यांश देयता की धनराशि के सही होने का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
 10. स्वीकृत धनराशि आडिटेड विवरण के अनुसार है, यह सुनिश्चित किया जाना एवं आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विश्वविद्यालय का होगा।
 11. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,75,00,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2415801202500** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से संचालित योजनाएं **मानक मद 20** सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-271-X-2025-26 दिनांक:28-2-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रयागराज।
3. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
4. मण्डलायुक्त, अयोध्या/कानपुर ।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, अयोध्या/कानपुर ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

7. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या/कानपुर ।
8. सचिव, उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 ।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।